

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

21-12-16

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 15-2-17 को पेश हो

15-2-17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 21-4-17 को पेश हो

21/4/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 19-5-17 को पेश हो

19/5/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 14-7-17 को पेश हो

14/7/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 14-5-17 को पेश हो
15-9-17

15/9/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 22-12-17 को पेश हो

22/12/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप,
अनुपस्थित/ विचारणीय अधिकारी
पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 23-3-18 को पेश हो

तारीख हुक्म

15/3/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्र आया कि भारत।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 15/3/18 को पेश हो

15/6/18

दिनांक 15/6/18 पर
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्र आया कि भारत।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 15/6/18 को पेश हो

15/04/19

दिनांक 15/04/19 पर
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्र आया कि भारत।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 15/04/19 को पेश हो

22/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्र आया कि भारत।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 22/07/19 को पेश हो

23/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्र आया कि भारत।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 23/10/19 को पेश हो

19/12/19

पत्रावली पेश हुई। उमरा में कई कर आया
लगायी जा चुकी है। बावजूद आपात लगवाने
कील उमरापत्र अथवा पक्षकारण में से कोई
दालि अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही
उमरा अदालत हाथी एवं अदालत चैकी में खाली
क्रिया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होना नसर
से कर हो तथा बाद तकनील दारखिल
दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19/12/19
को सी इफलास पुनाया गया।



(शुभाश्रम सिंह)
सहायक कलम